कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 1683 / 12-1 दिनांक, चम्पावत 29-11-2019

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड़, अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग से सिंगदा हेतु 3.915 है प्रस्ताव स0 **FP/uk/road/39053/2019**

संदर्भः— आपका ई0डी0एस0 का दिनांक 4.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित आपत्ति के कम में प्रस्तावक विभाग से प्राप्त आख्या के आधार पर वांछित सूचना /आख्या निम्न प्रकार प्रेषित हैं:—

क0स0	आपतित्तयां	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न सयुक्त निरीक्षण आख्या में 3.915 हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होनी दर्शायी गई है, जबकि अन्य प्रपत्रों में 3. 7015 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव विभाग से टंकण में त्रुटिवश वनभूमि 3.915 है0 प्रभावित दिखायी गयी है। जबकि वास्तविक प्रभावित वनभूमि 3.7015 है0 है। इस त्रुटि को सयुक्त निरीक्षण आख्या में शुद्व कर लिया गया है। सयुक्त निरीक्षण की आख्या आनलाईन पार्ट 1 के पैरा में अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार विषयांकित परियोजना के प्रस्ताव में 593 वृक्षों का पातन निहित है। प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र –4 एवं प्रपत्र –17 के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग में 593 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जिसमें केवल 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा,593 वृक्षों का पातन किया जायेगा, 593 वृक्षों को अन्यत्र रोपित किये जायेंगे का उल्लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें कि किन वृक्षों का अन्यत्र रोपित किया जाना है।	प्रपत्र 4 एवं प्रपत्र 17.1 टंकण त्रुटिवश 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं 593 वृक्षों को अन्यत्र रोपित किया जायेगा का उल्लेख किया गया है। जबकि वास्तविक रूपये सभी प्रभावित 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा। टंगण त्रुटि को शुद्व कर लिया गया है तथा आनलाईन पार्ट 1 के पैरा में अपलोड कर दिया गया है।
3	एन0पी0वी0 की गणना इको–क्लास व घनत्व के अनुसार की जाय।	एन0पी0वी0 की गणना इको–क्लास व हरियाली घनत्व 0.4 के अनुसार की गयी है। जो रूपया 2569855.00 आंकलित की गयी है। ए0पी0वी0 की गणना आनलाईन पार्ट 1 के पैरा में अपलोड कर दिया गया है।
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2 व 3 (सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व वन संरक्षक द्वारा भने जाने वाले प्रपत्र) प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रपत्र भाग 2 प्रपत्र को भर लिया गया है। व 3 संबन्धित अधिकारी महोदय द्वारा प्रेषित किये जा रहे है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(कुबेर सिंह विष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

[Type text]